

54  
12/2018 प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषदें,  
(संलग्न विवरणानुसार)  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 25 जनवरी, 2018

विषय:-

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त नगर पालिका परिषदों को मूल अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम किश्त हेतु धनराशि का संकमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त नगर पालिका परिषदों को मूल अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम किश्त हेतु ₹22,41,60,000.00 (दो बाईस करोड़ इकतालीस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहरष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:-

1. अनुदान का उपयोग मूलभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने यथा: जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टेज प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और श्मशानों के रख-रखाव हेतु किया जायेगा।
2. निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के नवीनतम आंकड़ों एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के आधार पर 14वें वित्त आयोग की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
3. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में उत्तरदायी होंगे।
4. अवमुक्त धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में निर्धारित एनेक्सर-III पर वांछित सूचना शहरी विकास विभाग द्वारा तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
6. अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांक: 31.03.2018 तक प्राप्त हो जाने चाहिए।
7. अवमुक्त धनराशि का समय से उपयोग करने हेतु शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा। नगर विकास विभाग समस्त शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर उपलब्ध करायेगा।
8. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम किश्त हेतु निर्धारित धनराशि से कम धनराशि अवमुक्त की गई है, उक्तानुसार ही धनराशि अवमुक्त की जा रही है, जिसकी तुलना वित्तीय वर्ष 2016-17 की द्वितीय किश्त हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि से नहीं की जायेगी।

9. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।
10. अलोटमेंट आईडी संलग्न है।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- आयोजनेत्तर- 01-नगरीय स्थानीय निकाय-192-नगर पालिका/ नगर निकाय-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0103-केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव, वित्त

संख्या-147 /XXVII(1)/ 2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जो.ओ. काम्पलैक्स, नई दिल्ली।
6. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, 31/62, राजपुर रोड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ/ उप कोषाधिकारी-उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन०आई०सी०सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव, वित्त

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम किश्त हेतु धनराशि का संकमण
1	2	3	4
अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा	6936
	2	रानीखेत	2017
		योग	8953
बागेश्वर	3	बागेश्वर	2376
		योग	2376
चमोली	4	गोपेश्वर	5331
	5	जोशीमठ	8000
	6	गोचर	2365
	7	कर्णप्रयाग	2263
		योग	17959
चम्पावत	8	चम्पावत	3025
	9	टनकपुर	3398
		योग	6423
देहरादून	10	मसूरी	12106
	11	ऋषिकेश	19186
	12	विकासनगर	2842
	13	डोईवाला	2110
	14	हरबर्टपुर	1646
		योग	37890
हरिद्वार	15	मंगलौर	12255
	16	लक्सर	4084
	17	शिवालिक नगर	7169
		योग	23508
नैनीताल	18	नैनीताल	8699

	19	रामनगर	10173
	20	भवाली	2045
		<b>योग</b>	<b>20917</b>
पौड़ी गढ़वाल	21	दुगड्डा	2019
	22	कोटद्वार	5493
	23	पौड़ी	8922
	24	श्रीनगर	4568
		<b>योग</b>	<b>21002</b>
पिथौरागढ़	25	पिथौरागढ़	11075
	26	धारचूला	2171
	27	डीडीहाट	1468
		<b>योग</b>	<b>14714</b>
रुद्रप्रयाग	28	रुद्रप्रयाग	2838
		<b>योग</b>	<b>2838</b>
टिहरी (नरेन्द्रनगर)	29	नरेन्द्रनगर	2875
	30	मुनिकीरेती-ढालवाला	7277
		<b>योग</b>	<b>10152</b>
टिहरी	31	टिहरी	8155
	32	चम्बा	2066
	33	देवप्रयाग	1137
		<b>योग</b>	<b>11358</b>
ऊधम सिंह नगर	34	बाजपुर	5085
	35	गदरपुर	3845
	36	जसपुर	11238
	37	खटीमा	2939
	38	किच्छा	8014
	39	सितारगंज	5633
	40	महुआखेड़ा गंज	2386
		<b>योग</b>	<b>39140</b>
उत्तरकाशी	41	उत्तरकाशी	4400
	42	बड़कोट	2530
		<b>योग</b>	<b>6930</b>
<b>योग-2</b>			<b>224160</b>

(रैंबाईस करोड़ इकतालीस लाख साठ हजार मात्र)

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।